न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– सुलेमान किण्डो ..बगैरह ।

बनाम

वाद सं0 20/2021

द्वितीय पक्ष– बेलस उराँव .. बगैरह।

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
1 08/10/21	उक्त वाद की कार्रवाई थाना पालकोट के अप्राथमिकी सं0 07/2021 दिनांक 01/04/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) सुलेमान किण्डो उम्र 50 वर्ष (2) सिप्रियन किंडो उम्र 43 वर्ष दोनो पिता अंजलूस किण्डो सा0 सारूबेडा चिरोडांड थाना पालकोट जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) बेलस उराँव उम्र 62 वर्ष पिता स्व0 धनमसीह उराँव (2) शेहुन उराँव उम्र 58 वर्ष पिता स्व0 निर्मल उराँव (3) अमोद उराँव उम्र 45 वर्ष (4) मिखाएल उराँव उम्र 42 वर्ष (5) जेहा उराँव उम्र 38 वर्ष तीनो के पिता ईश्वदास उराँव (6) सलील उराँव उम्र 30 वर्ष (7) अमीत उराँव उम्र 30 वर्ष (8) अभय उराँव उम्र 24 वर्ष तीनो के पिता शेहुल उराँव (9) अनमोल उराँव उम्र 25 वर्ष (10) बसंत उराँव उम्र 23 वर्ष दोनो के पिता बेलस उराँव सभी ग्राम सारूबैड़ा चीरो डांड थाना पालकोट जिला गुमला के बीच खाता सं0 112 प्लॉट सं0 3837 रकबा 2.24 एकड़ भूमि में प्रधानमंत्री आवास निर्माण करने को लेकर उभय पक्षो के बीच तनाव एवं विवाद को लेकर अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तदनुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी पालकोट या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है साथ ही वाद के कार्रवाई की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। ऐसी स्थिति में वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला) अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)। Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.09.05 13:28:12 +05:30 Location: 192.168.1.2	